



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, Email- bseapatna@gmail.com, वेबसाइट : www.bsea.bihar.gov.in

पटना/दिनांक 18/07/2025

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-07/2024 ~~22.4.24~~ चूंकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावाधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा अनुलग्नक-1 में अंकित 02 (दो) व्यापार मंडल सहयोग समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है। जिनका निर्वाचन देय है या पद रिक्त है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा कंडिका-4 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार समिति के उपविधियों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान हेतु दिनांक 26.08.2025 (मंगलवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-2036 दिनांक 24.06.2025 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.05.2025 निर्धारित की गयी है, तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 16.07.2025 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. उपर्युक्त आलोक में अनुलग्नक-1 में अंकित समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	26.07.2025 (शनिवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	11.08.2025 (सोमवार) एवं 12.08.2025 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	13.08.2025 (बुधवार) एवं 14.08.2025 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	19.08.2025 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	26.08.2025 (मंगलवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	26.08.2025 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	28.08.2025 (गुरुवार)

5. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र-1 में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना दिनांक 26.07.2025 (शनिवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम का मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय-3 की कंडिका- (1) से (5) में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्ट नहीं की जायगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा:-

क्र०	सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय	प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात्	प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या, को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा), को प्रविष्ट करना है।
iv.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूचना (प्रपत्र ई0 18), को अपलोड करना एवं तदोपरांत प्राधिकार के ई-मेल bseapatna@gmail.com पर भेजना है।
v.	मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्र-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है।

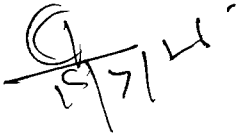
7. प्रपत्र-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।

8. निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-5 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के हस्तपुस्तिका में वर्णित प्रपत्र-ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को प्राधिकार के वेबसाइट पर भी अपलोड करायेंगे।

9. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे। इससे संबंधित प्राधिकार के पत्रांक 469 दिनांक 25.02.2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

10. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 28.08.2025 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134-142 पर देखे जा सकते हैं।

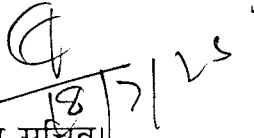
अनुलग्नक: यथोक्त।


(कयूम अंसारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2247

पटना/ दिनांक 18/07/2025

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2247

पटना/ दिनांक 18/07/2025

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (संस०)/ संबंधित उप विकास आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी (संस०)/ संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/ संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी (संस०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि प्राधिकार के पत्रांक 942 दिनांक 25.09.2017 के आलोक में व्यापार मंडल सहयोग समितियों के निर्वाचन में दिनांक 06.08.2025 तक पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी सुनिश्चित करेंगे। उक्त पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3. संबंधित जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (संस०) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी (संस०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी (सं०) को सूचित किया जाता है कि व्यापार मंडल निर्वाचन के संचालन हेतु प्राधिकार के पत्रांक 688 दिनांक 04.08.2017 एवं पत्रांक 221 दिनांक 24.01.2023 द्वारा दिये गये अनुदेश यथा संशोधनों के साथ (Mutatis Mutandis) लागू होंगे। यह अनुदेश प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2247

पटना/ दिनांक 18/07/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2247

पटना/ दिनांक 18/07/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2247

पटना/ दिनांक 18/07/2025

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ संयुक्त सचिव/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा 2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. श्री वेद प्रकाश, आई. टी. प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान वेबसाइट पर की जाने वाले प्रविष्टियाँ तथा प्रपत्र- ई0 18 व अंतिम मतदाता सूची अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

संयुक्त सचिव

निर्वाचन हेतु व्यापार मंडल सहयोग समितियों की सूची				
क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	सहकारी समितियों का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	कैमूर	नुआँव	नुआँव व्यापार मंडल सहयोग समिति लि०	
2	अररिया	सिकटी	सिकटी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि०	

प्रपत्र-1
सूचना का प्रपत्र
(नये व्यापार मंडल के लिए)

जिला, प्रखंड.....के व्यापार मंडल, निबंधन संख्या....., पताके अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 14 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :

पद	
प्रथम वर्ग से	
अध्यक्ष	01 (अनारक्षित)
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	10
• अनु0जाति/अनु0अ0जाति कोटि	02 पद, जिसमें 01 पद महिला के लिए आरक्षित
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि	02 पद, जिसमें 01 पद महिला के लिए आरक्षित
• सामान्य कोटि	05 पद (अनारक्षित), जिसमें 03 पद (सभी कोटि के लिए) एवं 02 पद महिला के लिए आरक्षित
द्वितीय वर्ग से	
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	03
• अनु0जाति/अनु0अ0जाति कोटि	01 पद
• सामान्य कोटि	02 पद (अनारक्षित), जिसमें 01 पद (सभी कोटि के लिए) एवं 01 पद महिला के लिए आरक्षित

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता

(स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

(स्थान का नाम)

(नामांकन पत्र दाखिल की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तकबजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं 3 बजे तक चलती रहेगी।

(स्थान का नाम)

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न बजे के पूर्व तकपर दाखिल की जा सकती है।

(स्थान का नाम)

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30.....बजे अपराह्न तक होगा।

(स्थान का नाम)

(vii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।

(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-1
सूचना का प्रपत्र
(पुराने व्यापार मंडल के लिए)

जिला, प्रखंड.....के व्यापार मंडल, निर्बंधन संख्या....., पताके अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी समिती के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
अध्यक्ष - प्रथम एवं द्वितीय वर्ग दोनों से	01 (अनारक्षित)
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	
प्रथम वर्ग (सहयोग समितियाँ) से	06
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	01 पद
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद
• सामान्य कोटि	03 पद (अनारक्षित), जिसमें 02 पद (सभी कोटि के लिए) एवं 01 पद महिला के लिए आरक्षित
द्वितीय वर्ग (व्यक्तिगत किसान) से	06 पद
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	01 पद
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद
• सामान्य कोटि	03 पद (अनारक्षित), जिसमें 02 पद (सभी कोटि के लिए) एवं 01 पद महिला के लिए आरक्षित

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता है।
(स्थान का नाम)

(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)
है। नामांकन पत्र दिनांक 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(नामांकन पत्र दाखिल की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तकबजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं 3 बजे तक चलती रहेगी।
(स्थान का नाम)

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न बजे के पूर्व तकपर दाखिल की जा सकती है।
(स्थान का नाम)

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30.....
(स्थान का नाम)

बजे अपराह्न तक होगा।
(vii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।
(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर